

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/शालादर्पण/वो-2/60304/पोर्टल मॉड्यूल

दिनांक 06.2023

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,  
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,  
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारंभिक,  
समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,  
समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक-समग्र शिक्षा,  
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी-समग्र शिक्षा,  
समस्त संस्था प्रधान/पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)/  
शहरी संकुल प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (यूसीईईओ), राजकीय विद्यालय।

**विषय:- शालादर्पण पर संचालित डिपार्टमेंटल सविसेज मॉड्यूल एसीपी, स्थाईकरण, विदेश यात्रा अनुमति व परीक्षा अनुज्ञा के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एसीपी, स्थाईकरण, विदेश यात्रा अनुमति व परीक्षा अनुज्ञा हेतु शालादर्पण पर संचालित डिपार्टमेंटल सविसेज मॉड्यूल में प्राप्त सुझावों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं।

1. शालादर्पण पोर्टल पर संचालित डिपार्टमेंटल सविसेज मॉड्यूल एसीपी, स्थाईकरण, विदेश यात्रा अनुमति व परीक्षा अनुज्ञा हेतु मॉड्यूल में अब समस्त प्रकरण First in First out के आधार पर निस्तारित किये जाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है।
2. कार्यालय लॉगिन पर एसीपी, स्थाईकरण, विदेश यात्रा अनुमति व परीक्षा अनुज्ञा प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु निम्नलिखित पाथ पर डेशबोर्ड प्रारंभ किया गया है जिसके द्वारा कार्यालयध्यक्ष प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

MANAGEMENT ⇒ APPLICATION FOR DEPARTMENTAL SERVICES (Office) ⇒ Staff Departmental Forms Dashboard

MANAGEMENT ⇒ APPLICATION FOR DEPARTMENTAL SERVICES (Office) ⇒ Form (ACP And Fixation) Flow Changed

3. एसीपी तथा स्थायीकरण वर्तमान पद के अनुसार अग्रेषित होने के कारण नियुक्ति अधिकारी कार्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित होते हैं वर्तमान में निदेशालय के द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों को उपयुक्त अधिकारी कार्यालय को फारवर्ड किया जाता रहा है। अब समस्त नियुक्ति अधिकारी कार्यालय में फ्लो परिवर्तन हेतु टैब निम्नलिखित पाथ पर उपलब्ध है, जिसके द्वारा संबंधित कार्यालय को प्रकरण को भिजवाया जा सकता है।
4. एसीपी प्रकरणों को निम्नानुसार समयावधि में निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

क्र.स	कार्यालय का नाम	निर्धारित समयावधि
1	संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष	05 कार्य दिवस
2	संबंधित सीबीईओ कार्यालय	07 कार्य दिवस
3	नियुक्ति अधिकारी कार्यालय (निदेशालय/डीईओ/जेडी)	21 कार्य दिवस

**Signature valid**

Digitally signed by Kana Ram  
Designation: Director  
Date: 2023.06.19 08:56:17 IST  
Reason: Approved

5. स्थाईकरण, विदेश यात्रा अनुमति व परीक्षा अनुज्ञा प्रकरणों को निम्नानुसार समयावधि में निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

क्र.स	कार्यालय का नाम	निर्धारित समयावधि
1	संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष	05 कार्य दिवस
2	संबंधित सीबीईओ कार्यालय	07 कार्य दिवस
3	नियुक्ति अधिकारी कार्यालय(निदेशालय/डीईओ/जेडी)	10 कार्य दिवस

समस्त संबंधित शालादर्पण प्रभारी, शालादर्पण पर संचालित डिपार्टमेंटल सविसेज मॉड्यूल के द्वारा किसी प्रकरण को रिजेक्ट करने की स्थिति में स्पष्ट रूप से कारण अंकित करेंगे। समस्त कार्यालय उपर्युक्तानुसार एसीपी, स्थाईकरण, विदेश यात्रा अनुमति व परीक्षा अनुज्ञा प्रकरणों में नवीन निर्देशानुसार पालना करना सुनिश्चित करेंगे।

(काना राम)

I.A.S.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
3. वरिष्ठ निदेशक(आई.टी.) एनआईसी शिक्षा संकुल जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/ (प्रशिक्षण)/ (प्रशासन), कार्यालय हाजा।
5. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. समस्त अनुभाग अधिकारी एबी/सी/एफ/जीएडी, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram  
Designation: Director  
Date: 2023.06.19 09:56:17 IST  
Reason: Approved